भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3115
08 अगस्त, 2023 को उत्तर देने के लिए

पीएमकेएसवाई का कार्यान्वयन

3115. श्री पी. रविन्द्रनाथ:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत चार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों सहित देशभर में फार्म गेट से खुदरा बिक्री केन्द्रों तक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में विशेष रूप से आधुनिक अवसंरचना के सृजन हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना "प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना" के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देशभर में वर्ष 2017-18 से एक अम्ब्रेला योजना- प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) कार्यान्वित कर रहा है । पीएमकेएसवाई घटक योजनाओं का एक व्यापक पैकेज है, जिसका उद्देश्य फार्म गेट से रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना है। यह देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देता है, किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने में मदद करता है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करता है, कृषि उपज की बर्बादी को कम करता है, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाता है और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाता है।

पिछले चार वर्षों (वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23) के दौरान 3530.25 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता वाली 682 परियोजनाएं और चालू वर्ष 2023-24 (दिनांक 31.07.2023 तक) के दौरान 160.22 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता वाली 33 परियोजनाओं) को देश भर में पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के तहत मंजूरी दी गई है। इनमें से 248.44 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता वाली 53 परियोजनाएं और 13.30 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता वाली 4 परियोजनाएं क्रमश: पिछले चार वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष (दिनांक 31.07.2023 तक) के दौरान तमिलनाडु राज्य में स्वीकृत की गई हैं।

पीएमकेएसवाई को 3925.89 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई हैं और इसमें से 2648.41 करोड़ रुपये वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 (दिनांक 31.07.2023 तक) की अवधि के लिए तमिलनाडु राज्य सहित देश भर में पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के तहत जारी किए गए हैं। . इसका विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

*****

अनुबंध

पीएमकेएसवाई का कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक 08.08.2023 को लोकसभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3115 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक (दिनांक 31.07.2023 तक) पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के तहत आवंटित/जारी सहायता अनुदान का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**पीएमकेएसवाई की घटक योजना**	**वित्तीय वर्ष**	**आवंटित की गई धनराशि**	**जारी की गई अनुदान सहायता**
1	**मेगा फूड पार्क (एमएफपी)**			
		2019-20	139.40	106.34
		2020-21	61.25	61.22
		2021-22	53.60	51.52
		2022-23	24.00	21.68
		2023-24	54.00(बीई)	0.00
		कुल	**332.25**	**240.76**
2	**एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना योजना (कोल्ड चेन)**			
		2019-20	324.16	269.13
		2020-21	250.58	204.89
		2021-22	260.82	223.44
		2022-23	220.00	201.64
		2023-24	194.00(बीई)	31.51
		कुल	**1249.56**	**930.61**
3	**कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) के लिए अवसंरचना विकास का सृजन**			
		2019-20	49.83	43.53
		2020-21	56.59	48.68
		2021-22	53.50	49.08
		2022-23	56.15	46.42
		2023-24	81.00(बीई)	5.73
		कुल	**297.07**	**193.44**
4	**खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन / विस्तार (सीईएफपीपीसी)**			
		2019-20	200.72	169.98
		2020-21	217.30	200.84
		2021-22	241.00	236.58
		2022-23	217.68	168.11

		2023-24	319.00(बीई)	26.62
		कुल	**1195.7 0**	**802.13**
5	**खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (एफटीएल)**			
		2019-20	39.80	26.85
		2020-21	36.63	28.84
		2021-22	46.60	34.14
		2022-23	32.80	18.53
		2023-24	44.50(बीई)	2.47
		कुल	**200.33**	**110.83**
6	**ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी)**			
		2019-20	28.03	2.37
		2020-21	38.00	38.00
		2021-22	71.50	65.15
		2022-23	73.34	69.91
		2023-24	212.34(बीई)	12.01
		कुल	**423.21**	**187.44**
7	**बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज (सीबीएफएल) का निर्माण**			
		2019-20	48.96	42.13
		2020-21	55.85	53.67
		2021-22	40.39	32.85
		2022-23	18.58	9.33
		2023-24	5.19(बीई)	0.42
		कुल	**168.97**	**138.4 0**
8	**मानव संसाधन एवं संस्थान (एचआरआई)**			
		2019-20	23.69	17.70
		2020-21	15.59	14.40
		2021-22	8.89	7.80
		2022-23	5.82	4.77
		2023-24	4.81(बीई)	0.13
		कुल	**58.8 0**	**44.8 0**
		कुल योग	**3925.89**	**2648.41**